

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1844 / 2022

दिनांक 03.06.2022

श्री मुकेश कुमार सांवरिया (RJ1202), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हिण्डौनसिटी (करौली) को दिनांक 09.05.2022 से 12.05.2022 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 08.05.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री सांवरिया की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हिण्डौनसिटी (करौली) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
01-06-2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/67/2017/4235

दिनांक 03.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 3546 दिनांक 16.05.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री मुकेश कुमार सांवरिया (RJ1202), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हिण्डौनसिटी (करौली)।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हिण्डौनसिटी (करौली) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)।

सहायक रजिस्ट्रार
03.06.2022